झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

का॰ आ॰ सं॰– 8/ज०स०(नि०) ल०सिं० दु० –07/09 रॉंची, दिनांक –

आदेश

श्री गुलाम हैदर, तत० कार्य० अभि०, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गिरिडीह के विरूद्ध निम्नलिखित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक सं०–2882 दिनांक 28.05.13 के द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम 55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है –

1 (i) (क) जीतपुर तालाब प्रखण्ड गिरिडीह के साफ्ट रॉक मद में 140% का विचलन किया जाना।

(ख) 945.20 M^3 मिट्‌टी की मात्रा की प्रविष्टि गलत मंशा से किया जाना।

(ग) कुल 5686.71 M^3 मिट्‌टी कार्य मद में रूपये 2,68,826.44 का अनियमित भुगतान।

(ii) भढवा खुर्द तालाब प्रखण्ड–गाण्डेय के मिट्‌टी कार्य मद में 4983.34 M^3 का रूपये 2,45,893.34 का अत्यधिक एवं अनियमित भुगतान।

(iii) (क) तेलीनारी तालाब प्रखण्ड बेंगाबाद के साफ्ट रॉक मद में 37.87% का अनियमित विचलन।

(ख) मिट्‌टी कार्य मद में रूपये 3,49357.00 का अनियमित भुगतान।

(iv) (क) आंदर कोला तालाब प्रखण्ड–गाण्डेय के साफ्ट रॉक मद मे 26.53% का अनियमित विचलन।

(ख) मिट्‌टी कार्य मद में 5247.21M^3 का रूपये 2,73,696.09 का अनियमित भुगतान।

(2) उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के जॉंच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित आरोप सं० 1(i) (ख) को प्रमाणित पाया गया। जॉंच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि श्री हैदर, तत्‌० कार्य० अभि० द्वारा मापी पुस्त में मिट्‌टी की मात्रा की प्रविष्टि की जॉंच कर लेना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया।

(3) उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉंच प्रतिवेदन की गहन समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री गुलाम हैदर, तत्‌० कार्य० अभियंता लघु सिंचाई प्रमण्डल गिरिडीह को उक्त प्रमाणित आरोप के सापेक्ष प्रस्तावित निम्न दण्ड के साथ द्वितीय कारण पृच्छा की गयी –

(क) निन्दन।

(ख) तीन वेतन वृद्वि संचयात्मक प्रभाव से रोक।

(ग) एक तिहाई राशि की वसूली।

(4) श्री हैदर तत्‌० कार्य० अभियंता द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा में कहा गया है कि मापी पुस्त में उक्त प्रविष्टि में कनीय अभियंता द्वारा forged entry की गई है। अन्य योजनाओं में मेरी व्यस्तता के कारण Abstract of cost को पारित किया गया। यदि Hierarchial पदों पर पदस्थापित कर्मी एवं पदाधिकारी अपने दायित्व का समुचित निर्वहन नहीं करते है तो इसके लिए कार्यालय प्रधान को दोषी देना न्याय संगत नहीं होगा।

(5) श्री हैदर, तत्‌० कार्य० अभियंता से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री हैदर का द्वितीय कारण पृच्छा में यह कहना कि कार्य की व्यस्तता के कारण विपत्र पारित एवं भुगतान किया गया है, स्वीकार योग्य नहीं है।

(6) श्री हैदर, तत्० कार्य० अभियंता से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा के क्रम में जानकारी हुई कि वे दिनांक 31.01.2016 को सेवानिवृत हो गये। श्री हैदर के सेवानिवृत हो जाने के कारण उनके विरूद्ध नियम 55 के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय आदेश ज्ञापांक सं०–1782 दिनांक 16.03.16 के द्वारा झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी०) मे सम्परिवर्तित किया गया।

(7) श्री गुलाम हैदर, तत्० कार्य० अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत के द्वितीय कारण पृच्छा को सम्यक समीक्षोपरांत अस्वीकृत करते हुए द्वितीय कारण पृच्छा में प्रस्तावित दण्ड से इतर उक्त प्रमाणित आरोप के लिए पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी०) के तहत निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया –

पेंशन से 5% की कटौती दो वर्षो के लिए।

(8) उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0 / –
(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव (नि०)

ज्ञापांक – 3003 राँची,दिनांक – 07-06-16

प्रतिलिपि – महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड, राँची / कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमण्डल, गिरिडीह / उप सचिव (प्र०) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची / अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), जल संसाधन विभाग, राँची / श्री गुलाम हैदर तत्० कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृति,301 / B Royal court Apartment near passport sewa Kendra Ashiyana Road- (Bihar) / वेब मैनेजर जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Vinay 06/06/2016

(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव (नि०)

F:\kanhaiya 2016\ LS_B.M.P.singh\Office Order.docx